प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
कम्प्यूटर सेल, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1106/1–18–2009/क0सेल/10/2004टी0सी0–2 दिनांक 4-08-2009

विषयः प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 शासन के द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2005 को अधिसूचित की गयी। इसके उपरान्त "उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009" शासन की अधिसूचना सं0–1748/1–4–08–134 बी–4/2002, दिनांक 01 जुलाई 2009 द्वारा अधिसूचित की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त नियमावली के प्रस्तर–6(4) में निहित प्राविधान के अनुसार मा0 परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के सम्बन्ध में संलग्न विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। इस विषय में पूर्व में निर्गत किये गये परिषदादेश सं0–996/क0सेल/10/ 2004टी0सी0(2), दिनांक 27 सितम्बर 2005, सं0–446/क0सेल/10/2004टी0सी0(2), दिनांक 03 मार्च 2006, सं0–1494/1–18–2008/क0सेल/32/2008, दिनांक 25 नवम्बर 2008, सं0–2105/क0सेल/10/2004, दिनांक 27–12–2007, सं0–796/क0सेल/18/2004, दिनांक 01–04–2008, सं0–241/1–18–2008/क0सेल/10/2004टी0सी0–1, दिनांक 22–4–2008, सं0–331/1–18–2008/क0सेल/10/2004, दिनांक 6–5–2008 तथा सं0–827/1–18–2009/क0सेल/10/2004टी0सी0–2, दिनांक 25–6–2009, संलग्न दिशा–निर्देश में दी गयी व्यवस्था की सीमा तक अतिक्रमित समझे जायेंगे।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि राजस्व प्रशासन में ई–गवर्नेन्स व कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "Single Point" के रूप में तहसील कम्प्यूटर केन्द्र को विकसित किया जाय जिससे भविष्य में शासन/परिषद/मण्डल/जिला स्तर से प्रारम्भ की जानी वाली अन्य परियोजनाओं का संचालन भी उक्त केन्द्र से सुगमता से किया जा सके। इस संबंध में संलग्न दिशा–निर्देश के प्रस्तर–3.1 के क्रमांक–5 में व्यवस्था दी गयी है। जनपद स्तर से यदि अन्य किसी मद हेतु धनराशि की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जिलाधिकारी उसका तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण कराकर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव परिषद को भेजेंगे। कार्य के औचित्य एवं आवश्यकता के आधार पर परिषद के अनुमोदनोपरांत कार्य किया जायेगा।

जारी.....

3. इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ई–गवर्नेन्स व कम्प्यूटरीकरण शासन की प्राथमिकताओं में सन्निहित है। राजस्व प्रशासन में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के शासनादेश सं0–350 / 78–1–2008 / 18आई.टी. –1 / 2006टी.सी.–6, दिनांक 30–06–2008 के द्वारा तहसील दिवस कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था निर्धारित की गयी थी। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रति तहसील प्रति माह रू0 4,000 / – (रूपये चार हज़ार मात्र) की धनराशि के आधार पर वर्ष 2008–09 हेतु बजट आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा प्राविधानित किया गया था। इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि तहसील दिवस के लिये धनराशि की व्यवस्था अब कम्प्यूटरीकृत खतौनी के उद्धरण जारी किये जाने से प्राप्त धनराशि में से की जायेगी।

कृपया प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के संबंध में प्रदत्त दिशा–निर्देशों की प्रति अपने जनपद की समस्त तहसीलों में उपलब्ध कराने तथा उसमें दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: कुल 12 पृष्ठ।

भवदीय,

5/8/09

(संजीव दूबे)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–4, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–1249 / 1–4–2009–134बी– 4 / 2002, दिनांक 28 जुलाई 2009 के कम में प्रेषित।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3. अपर आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ।

भवदीय,

(विशाल भारद्वाज)
सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त

परिषदादेश सं0– 1106/1–18–2009/क0सेल/10/2004टी0सी0–2, दिनांक 4, अगस्त 2009
का संलग्नक

प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

1. शासन की अधिसूचना सं0–1748/1–4–08–134 बी–4/2002, दिनांक 01 जुलाई 2009 द्वारा निर्गत "उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009" द्वारा कम्प्यूटरीकृत खतौनी के उद्धरण जारी करने से प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यय राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन कम्प्यूटर केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन संबंधी कार्यों पर किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

2. उपर्युक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 के नियम–6 (3) के द्वारा कम्प्यूटरीकृत खतौनी उद्धरण हेतु रूपये 15/–की धनराशि निर्धारित की गयी है तथा नियम–6 (4) के अन्तर्गत उक्त धनराशि को राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन कम्प्यूटर के रख–रखाव व अद्यतनीकरण पर व्यय करने की व्यवस्था दी गयी है। तद्क्रम में परिषद द्वारा परिषदादेश सं0–996/क0सेल/10/2004टी0सी0(2), दिनांक 27 सितम्बर 2005, सं0–446/क0सेल/10/2004टी0सी0(2), दिनांक 03 मार्च 2006, सं0–1494/1–18–2008/क0सेल/32/2008, दिनांक 25 नवम्बर 2008, सं0–2105/क0सेल/10/2004, दिनांक 27–12–2007, सं0–796/क0सेल/18/2004, दिनांक 01–04–2008, सं0–241/1–18–2008/क0सेल/10/2004टी0सी0–1, दिनांक 22–4–2008, सं0–331/1–18–2008/क0सेल/10/2004, दिनांक 6–5–2008 तथा सं0–827/1–18–2009/क0सेल/10/2004टी0सी0–2, दिनांक 25–6–2009 प्रयोक्ता प्रभार के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये। उपर्युक्त परिषदादेशों के द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित व्यवस्थायें दी गयीं

2.1 खतौनी के उद्धरण की प्रति (प्रति खाता) के लिए लिए जाने वाला प्रयोक्ता प्रभार रू0 15/– तहसील नजारत द्वारा एक रजिस्टर–9 (पंजी–9) बनाया गया है जिसमें प्रयोक्ता प्रभार के रूप में प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण रखा जा रहा है। जिसका दैनिक सत्यापन तहसीलदार/प्रभारी नजारत नायब तहसीलदार द्वारा किया जा रहा है (परिषदादेश सं0–996/क0सेल/10/2004टी0सी0(2), दिनांक 27 सितम्बर 2005 द्वारा)।

2.2 प्रयोक्ता प्रभार की धनराशि के उपयोग हेतु तहसील स्तर पर "प्रयोक्ता प्रभार उपभोग समिति" का गठन किया जाता है जो निम्नवत् है

1.	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	तहसीलदार/ तहसील कम्प्यूटर केन्द्र प्रभारी	सदस्य
3.	एन0आई0सी0 प्रभारी	विशेष आमंत्री

उक्त समिति में एन0आई0सी0 प्रभारी का दायित्व केवल परामर्श देने तक सीमित रहेगा। उक्त समिति प्रत्येक माह में कम से कम एक बार प्रयोक्ता प्रभार के सम्बन्ध में बैठक अवश्य करेगी। (परिषदादेश सं0–996/क0सेल/10/2004टी0सी0(2), दिनांक 27 सितम्बर 2005 द्वारा)।

2.3. प्रयोक्ता प्रभार की अब तक जमा धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में बचत खाता खोलकर सुरभि योजना में जमा किया जाएगा तथा प्रतिदिन प्राप्त धनराशि को अगले कार्यदिवस को प्रत्येक दशा में उक्त खाते में जमा किया जायेगा। (परिषदादेश सं0–331/1–18–2008/क0सेल/10/2004, दिनांक 6–5–2008 द्वारा)।

2.4. इस खाते का संचालन संबंधित तहसील के परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। (परिषदादेश सं0–996/क0सेल/10/ 2004टी0सी0(2), दिनांक 27 सितम्बर 2005 द्वारा)।

3. परिषद द्वारा भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के संबंध में विभिन्न स्तरों से प्राप्त फीडबैक एवं तहसील कम्प्यूटर केन्द्रों के संचालन में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत राजस्व परिषद द्वारा "उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009" के अन्तर्गत, प्रयोक्ता प्रभार के रूप में प्राप्त हो रही धनराशि के उपयोग की अनुमति निम्नलिखित मदों में प्रदान की जाती है–

3.1. **तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य**

क0सं	सम्पादित कराये जाने वाले कार्य	आवृत्ति	अधिकतम् धनराशि (रूपये में)
1	तहसील स्तरीय कम्प्यूटर केन्द्र का साइट प्रिपरेशन	एक बार	50,000/– (रूपये पचास हज़ार मात्र)
2	कृषकों/हितबद्ध व्यक्तियों के कम्प्यूटर कक्ष के बाहर बैठने हेतु शेड तथा फर्नीचर (अधिकतम 20 व्यक्तियों के बैठने हेतु बेन्च/फिक्स कुर्सियाँ) आदि तथा पेय जल की व्यवस्था	एक बार	1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र)
3	आपदा प्रतिपूर्ति के लिये तहसील कम्प्यूटर केन्द्र हेतु अग्नि शमन यन्त्र, धूम संसूचक वातानुकूलन उपकरणों की स्थापना	एक बार	50,000/– (रूपये पचास हज़ार मात्र)
4	कम्प्यूटर केन्द्र हेतु फर्नीचर	एक बार	25,000/– (रूपये पच्चीस हज़ार मात्र)
5	राजस्व प्रशासन में ई–गवर्नेन्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "Single Point" के रूप में	एक बार	70,000/– (रूपये सत्तर हज़ार मात्र)

	तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के विकास हेतु एक कम्प्यूटर, एक लेज़र प्रिन्टर व सहवर्ती उपकरणों का क्रय। जनपद स्तर से यदि अन्य किसी मद हेतु धनराशि की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जिलाधिकारी उसका तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण कराकर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव परिषद को भेजेंगे। कार्य के औचित्य एवं आवश्यकता के आधार पर परिषद के अनुमोदनोपरांत कार्य किया जायेगा।		

3.2. **तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के आधुनिकीकरण संबंधी कार्य**

क0सं	सम्पादित कराये जाने वाले कार्य	आवृत्ति	अधिकतम् धनराशि (रूपये में)
1	परिषदादेश दिनांक 25–11–2008 के अन्तर्गत स्थापित कम्प्यूटर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के निष्प्रयोज्य होने की दशा में उनके स्थान पर नये उपकरणों का क्रय (परिषद द्वारा निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुसार) (संलग्नक–1 के अनुसार)	आवश्यकतानुसार/ औचित्यानुसार	75,000/– (रूपये पचहत्तर हज़ार मात्र) प्रति वर्ष
2	तहसील में संचालित विभिन्न कम्प्यूटर कार्यक्रमों हेतु साफ्टवेयर की व्यवस्था	आवश्यकतानुसार	25,000/– (रूपये पच्चीस हज़ार मात्र) प्रति वर्ष

3.3. **तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के अनुरक्षण संबंधी कार्य**

क0सं	सम्पादित कराये जाने वाले कार्य	आवृत्ति	अधिकतम् धनराशि (रूपये में)
1	सिविल/मेकैनिकल/इलेक्ट्रिकल अनुरक्षण	आवश्यकतानुसार	25,000/– (रूपये पच्चीस हज़ार मात्र) प्रति वर्ष
2	तहसील कम्प्यूटर केन्द्र में स्थापित कम्प्यूटर अन्य उपकरणों की, पूर्व की वारण्टी समाप्त होने की दशा में, ए0 एम0 सी0 कराये जाने के कार्य	संलग्नक–2 के अनुसार	

3.4. **तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के संचालन संबंधी कार्य–**

क0सं	सम्पादित कराये जाने वाले कार्य	आवृत्ति	अधिकतम् धनराशि (रूपये में)
1	सी0डी0/डी0वी0डी0/पेन ड्राइव/ अतिरिक्त हार्ड डिस्क, कम्प्यूटर पेपर, लेज़र प्रिन्टर का टोनर, डाटमैट्रिक्स प्रिंटर के रिबन, रू0 5,000/– से कम के कोई कम्प्यूटर के सहवर्ती उपकरण आदि का क्रय।	आवश्यकतानुसार	50,000/– (रूपये पचास हज़ार मात्र) प्रति वर्ष
2	तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के जनरेटर हेतु डीजल 8 लीटर प्रति दिन/अधिकतम 200 लीटर प्रति माह	–	
3	राजस्व कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण	01 वर्ष में अधिकतम् 05 राजस्व कर्मियों को 80 घन्टे का	10,000/– (रूपये दस हज़ार मात्र)
4	तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के लिये डाटा फीडिंग हेतु तकनीकी मैन पावर (कार्य के अनुसार अनुबंध के आधार पर) की व्यवस्था	आवश्यकतानुसार	60,000/– (रूपये साठ हज़ार मात्र) प्रति वर्ष
5	कम्प्यूटर केन्द्र हेतु फर्नीचर	आवश्यकतानुसार	5,000/–(रूपये पांच हज़ार मात्र) प्रति वर्ष
6	तहसील कम्प्यूटर केन्द्र हेतु इन्टरनेट की व्यवस्था	आवश्यकतानुसार	24,000/– (रूपये चौबीस हज़ार मात्र) प्रति वर्ष
7	आपदा प्रतिपूर्ति के लिये तहसील कम्प्यूटर केन्द्र हेतु अग्नि शमन यन्त्र, धूम्र संसूचक, वातानूकूल उपकरणों की स्थापना	तीन वर्ष में एक बार	25,000/– (रूपये पच्चीस हज़ार मात्र)

3.5. प्रयोक्ता प्रभार के संबंध में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में **"जिला प्रयोक्ता प्रभार समिति"** का गठन किया जाता है, जो निम्नवत् है–

1– जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2– अपर जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी – सदस्य
3– संबंधित तहसील का उप जिलाधिकारी – सदस्य
4– मुख्य कोषाधिकारी – सदस्य
5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी – सदस्य

इस समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नलिखित हैं–

3.5.1. बिन्दु सं0–3.1, 3.2 एवं 3.3 में वर्णित कार्यों को सम्पादित कराये जाने की अनुमति प्रदान करेगी।

3.5.2. तहसील कम्प्यूटर केन्द्र हेतु डाटा फीडिंग के लिये तकनीकी मैन पावर के संबंध में निर्णय लेगी।

3.5.3. तहसीलों के कम्प्यूटर केन्द्र के संचालन हेतु एक माह में यदि रू0 20,000 / – (रूपये बीस हज़ार) अथवा इससे अधिक का व्यय होता है तो इस संबंध में बिन्दु सं0–2.2 के द्वारा गठित तहसील प्रयोक्ता प्रभार समिति के प्रस्ताव पर निर्णय लेगी।

3.5.4. प्रयोक्ता प्रभार के रूप में ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में जमा धनराशि का अधिकतम् 25 प्रतिशत धनराशि विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर, समुचित आधार दर्शाते हुये उसी जनपद की एक तहसील से दूसरी तहसील के कम्प्यूटर केन्द्र हेतु स्थानान्तरित कर सकेगी।

3.5.5. उक्त समिति तीन माह में कम–से–कम एक बार बैठक अवश्य करेगी।

3.5.6. जिला प्रयोक्ता प्रभार समिति प्रस्तर–3.1 से 3.4 तक में इंगित मदों के सापेक्ष अधिकतम् व्यय सीमा से 20 प्रतिशत के विचलन की अनुमति शासकीय कार्यहित में प्रदान कर सकेगी। ऐसे विचलन की सूचना अनुमति दिये जाने के 15 दिनों में परिषद को दिया जाना आवश्यक होगा।

3.6. तहसील स्तरीय प्रयोक्ता प्रभार समिति तहसील कम्प्यूटर केन्द्र हेतु एक माह में, परिषद द्वारा निर्दिष्ट मदों में रू0 20,000 / – (रूपये बीस हज़ार) से कम की धनराशि को व्यय करने के संबंध में निर्णय ले सकेगी। रूपये 20,000 / – (रूपये बीस हज़ार) से अधिक की धनराशि का व्यय "जिला प्रयोक्ता प्रभार समिति" की अनुमति से होगा।

3.7. उपरोक्त सामग्रियों का क्रय स्टोर क्रय सामग्री नियम तथा उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों (क्रय विषयक) के अधीन व्यय / क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।

3.8. तहसील कम्प्यूटर केन्द्र में स्थापित कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों के निष्प्रयोज्य होने की दशा में संलग्नक–1 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नये उपकरणों के क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

3.9. तहसील कम्प्यूटर केन्द्र में स्थापित कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की, पूर्व की वारण्टी समाप्त होने की दशा में ए0 एम0 सी0 संलग्नक–2 में दी गयी शर्तों के अनुसार करायी जायेगी।

3.10. महालेखाकार उ0 प्र0, इलाहाबाद के लेखादल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रयोक्ता प्रभार के रूप में जमा/व्यय की जा रही धनराशि की सम्परीक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त मण्डलीय अपर आयुक्त (वित्त), राजस्व परिषद के लेखादल द्वारा भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रयोक्ता प्रभार के रूप में प्राप्त हो रही धनराशि के आय/व्यय की सघन जाँच की जायेगी।

3.11. शासकीय प्रयोजन हेतु कम्प्यूटरीकृत खतौनी का उद्धरण संशोधित नियमावली के नियम–9 के अन्तर्गत जिलाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के आदेशानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। शासकीय प्रयोजन हेतु निर्गत किये जाने वाले ऐसे उद्धरणों का स्पष्ट विवरण वितरण रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत परिषदादेश सं0 996/क0सेल/10/2004टी0सी0(2), दिनांक 27 सितम्बर 2005, सं0–446/क0सेल/10/2004टी0सी0(2), दिनांक 03 मार्च 2006, सं0–1494/1–18–2008/क0सेल/32/2008, दिनांक 25 नवम्बर 2008, सं0–2105/क0सेल/10/2004, दिनांक 27 12 2007, सं0–796/क0सेल/18/2004, दिनांक 01 04 2008, सं0–241/1–18–2008/क0सेल/10/2004टी0सी0–1, दिनांक 22 4 2008, सं0–331/1–18–2008/क0सेल/10/2004, दिनांक 6–5–2008 तथा सं0–827/1–18–2009/क0सेल/10/2004टी0सी0–2, दिनांक 25 6 2009 उक्त सीमा तक अतिक्रमित समझे जायेंगे।

मा0 परिषद की आज्ञा से

4/8/09

(संजीव दूबे)
आयुक्त एवं सचिव।

परिषदादेश सं0– 1106/1–18–2009/क0सेल/10/2004टी0सी0–2, दिनांक 4, अगस्त 2009 के दिशा–निर्देश का संलग्नक–1

निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों के स्थान पर नये कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों के क्रय के संबंध में दिशा–निर्देश–

तहसीलों द्वारा कम्प्यूटरीकृत खतौनी उद्धरण वितरण से प्रयोक्ता प्रभार मद के रूप में प्राप्त हो रही धनराशि में से निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों के स्थान पर नये उपकरणों/साफ्टवेयर का क्रय निम्न शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है–

1. नये उपकरणों के क्रय के अन्तर्गत मात्र भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये/क्रय किये गये निष्प्रयोज्य हो चुके तहसील स्तरीय कम्प्यूटर्स एवं अन्य सहवर्ती उपकरण तथा जनरेटर सम्मिलित है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य योजना के उक्त उपकरण सम्मिलित नही होंगे।

2. नये उपकरणों का क्रय स्टोर व पर्चेज़ नियमों तथा शासन के आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के शासनादेशों सं0–08/78–आई0टी0–2001, दिनांक 12 सितम्बर 2001, सं0–174/78–2–2004–25आई0टी0/2001, दिनांक 17 फरवरी 2004 एवं सं0–785/78–2–2004–25 आई0टी0/2001, दिनांक 25 अगस्त 2004 एवं अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जनपद द्वारा नियमानुसार कराया जायेगा।

3. उक्त उपकरणों का क्रय 03 वर्षों की आनसाइट वारण्टी पर, निम्नलिखित कान्फीगरेशन के अनुसार किये जायेंगे तथा नियमानुसार बैंक गारण्टी जनपद स्तर आनसाइट वारण्टी समाप्त होने तक, सुरक्षित रखी जायेगी:–

उपकरण/साफ्टवेयर का नाम	कान्फीग्रेशन	व्यय की अधिकतम् सीमा (रूपये में)	उपकरणों की अधिकतम् संख्या
सर्वर	**Padestrial Server**-Xeon L/E5320 OR HIGHER, (Quad Core) with dual multi core processor support, 2GB DDR2-533 FB DIMM or higher ECC memory, Quod SATA II controller with supporting RAID 0 and 1, dual Gigabit Server Ethernet controller with Teaming load balancing and Auto fail over feature, 2 X 250GB SATA II HS HDD, IDE DVD ROM drive, 17"TFT colour monitor, 104 keys OEM keyboard & Optical OEM Mouse, (N+1) hotswap Redundant Hot Swap power supply.	90,000.00 प्रति यूनिट	01
क्लाइन्ट	**Client Machine**-Desktop C2 (Intel core 2 Duo E8400 or higher processor, 2x 512 MB DDR II RAM 667 MHz, 160 GB SATA II HDD, 17" TFT color monitor MPR-II/TCO-03 Compliant, Internet Dual layer DVD Writer, External Speakers, OEM optical Scroll Mouse, integrated PCI 10/100/1000 Mbps Gigabit ethernet, 104 keys OEM keyboard, preloaded with Win XP Prof., Antivirus S/W) (Antivirus	41,000.00 प्रति यूनिट	03

	software free update license Certificate)		
यू0पी0एस0	**UPS-1**: 2KVA Online UPS with 30 minute backup (one year warranty on Battery & 3 years on Electronics)	58,000.00 प्रति यूनिट	01
	UPS-2: 3KVA Online UPS with 30 minute backup (one year warranty on Battery & 3 years on Electronics)	80,000.00 प्रति यूनिट	01
लेजर प्रिन्टर	**Laser Printer**: Mono Laser Printer with minimum (20 PPM print speed on Legal & A4 Size paper, 600x600dpi Print engine resolution, 8000PPM duty cycle, Minimum 2 MB or more buffer memory), USB interface, Supporting A4/Legal size paper, all cables, toner cartridge, accessories & Driver software.	9,500.00 प्रति यूनिट	02
स्विच	16 port 10/100 Mbps swich (With Three years Onsite comprehensive Warranty) with installation	5,200.00 प्रति यूनिट	01
बायोमैट्रिक डिवाइस	Biometric Finger Print Scanner Image Resolution :500 DPI+0.2% Image size:260x300 Pixels Light Source: Red LED Auto-ON features interface: USB OS Supported: Win Vist, Win XP, Win 2000, Win Server 2003 Drivers (in CD) Warranty Three years On Site	8,000.00 प्रति यूनिट	03
साफ्टवेयर	-Windows Svr std 2003 R2/Windows Svr std 2008 English/multi Lang OLP with 5 CAL Lisences	40,000.00 प्रति यूनिट	01
	-SQL Svr Standard Edtn 2005/2008 IA64 English OLP with 5 CAL	40,000.00 प्रति यूनिट	01
	-Symantec Antivirus Multi-Tier Protection 10.1 - 5 user pack (For Server with 3 Years Subscription)	21,000.00 प्रति यूनिट	01
जेनरेटर	05 के0वी0ए0 डीजल चालित	डी0आई0 अनुबंध दर/स्टोर क्रय नियमावली के अनुसार	01

4. उक्त उपकरणों/साफ्टवेयर के क्रय संबंधी कार्यवाही जिला प्रयोक्ता प्रभार समिति द्वारा की जायेगी।

5. उपकरणों की पी0 डी0 आई0 (Pre Dispatch Inspection) जनपद मुख्यालय पर कर, संतुष्ट होने के उपरांत संबंधित तहसील में स्थापित करायेगी।

6. जिलाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय किये गये उपकरण निर्धारित कान्फीगरेशन के अनुसार हैं तथा भूलेख साफ्टवेयर इत्यादि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के उपरांत तहसीलों में क्रियाशील होने योग्य हैं।

7. क्रय किये गये समस्त उपकरणों का विवरण जनपद द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा–

जनपद..... में क्रय किये गये उपकरणों का विवरण

क0सं0	क्रय किये गये उपकरणों के नाम	संख्या	मेक/मॉडल	व्यय की गयी धनराशि
1	सर्वर			
2	क्लाइन्ट			
3	यू0पी0एस0			
4	लेजर प्रिन्टर			
5	जेनरेटर			
6	बायोमैट्रिक डिवाइस			
7	साफ्टवेयर			
8	स्विचेज			

मै सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त उपकरण मात्र भूलेख कम्प्यूटरीकृत प्रणाली हेतु तहसील कम्प्यूटर केन्द्र में स्थापित निष्प्रयोज्य उपकरणों के स्थान पर क्रय किये गये हैं। उपकरणों की गुणवत्ता राजस्व परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये गये कान्फीग्रेशन के अनुसार ही है तथा उनके आगामी 03 वर्षों तक रख–रखाव हेतु बैंक गारण्टी संख्याः–..... दिनांकः....., जिलाधिकारी.....के नाम प्राप्त कर ली गयी है।

जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी	मुख्य कोषाधिकारी	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
जनपद.....	जनपद.....	जनपद.....

मा0 परिषद की आज्ञा से

4/8/09

(संजीव दूबे)
आयुक्त एवं सचिव।

परिषदादेश सं0– 1106 /1–18–2009 / क0सेल / 10 / 2004टी0सी0–2, दिनांक 4 अगस्त 2009 के
दिशा–निर्देश का संलग्नक–2

तहसील कम्प्यूटर केन्द्र में स्थापित उपकरणों की पूर्व की वारण्टी समाप्त होने की दशा में, कम्प्रेहेन्सिव ऑन साइट ए0 एम0 सी0 कराये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश–

तहसील कम्प्यूटर केन्द्र में स्थापित कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की, पूर्व की वारण्टी समाप्त होने की दशा में, कम्प्रेहेन्सिव ए0 एम0 सी0 निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत करायी जायेगी–

1. कम्प्रेहेन्सिव ए0 एम0 सी0 के अन्तर्गत मात्र तहसील कम्प्यूटर केन्द्र हेतु उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण जिसके अन्तर्गत सी0पी0यू0, मॉनीटर, की–बोर्ड, माउस, प्रिन्टर, यू0पी0एस0 (बैटरी छोड़कर) तथा जनरेटर सम्मिलित होंगे। अन्य किसी योजना के उपकरण उक्त ए0 एम0 सी0 में सम्मिलित नही होंगे।

2. कम्प्रेहेन्सिव ए0एम0सी0 के अन्तर्गत मशीनों के सभी उपकरणों के सभी पार्ट्स अधिकतम 24 घण्टे में बदले / रिपेयर किये जायेंगें। प्रिवेन्टिव रख–रखाव प्रत्येक माह अधिकतम 4 घण्टे किया जायेगा (प्रिवेन्टिव मेन्टीनेन्स)।

3. कम्प्रेहेन्सिव आन साइट ए0एम0सी0 के अन्तर्गत सभी उपकरणों के सभी पार्ट्स (यू0पी0एस0 की बैटरी को छोड़कर) को बदलना / ठीक करना सम्मिलित रहेगा। यदि उपकरणों के पार्ट्स को बदला जाता है तो नये पार्ट्स लगाना होगा। इस ए0एम0सी0 में मशीनों को वायरस मुक्त करना भी सम्मिलित रहेगा।

4. ऐसे यू0 पी0 एस0 जिनकी बैटरी निष्प्रयोज्य हो चुकी हैं के स्थान पर नयी बैटरी का क्रय किया जायेगा।

5. तहसील में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें इससे सम्बन्धित शिकायतें दर्ज की जायेंगी। इस रजिस्टर में शिकायत क्रमांक संख्या, खराब उपकरण का नाम, उपकरण के खराब होने की तिथि, शिकायत करने की तिथि, ठीक होने की तिथि तथा टिप्पणी के कालम बनाये जायेंगे।

6. इस रजिस्टर के आधार पर 24 घण्टे से अधिक समय के पश्चात ठीक हुई शिकायतों पर नियमानुसार डाउन टाइम की गणना कर पेनाल्टी लगाने का प्राविधान किया जायेगा।

7. उक्त ए0एम0सी0 "स्टोर एण्ड परचेज रूल्स" एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्थानीय स्तर पर नियमानुसार कराया जायेगा। इस ए0एम0सी0 में वायरस वैक्सीनेशन की प्रकिया भी सम्मिलित रहेगी तथा ए0एम0सी0 की सूचना निम्न प्रारूप पर जनपद द्वारा परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी–

वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध (ए0एम0सी0) किये गये उपकरणों की सूचना का प्रारूप

जनपद / तहसील का नाम	ए0एम0सी0 किये गये उपकरण का नाम / माडल / मशीन सं0	ए0एम0सी0 कराने की तिथि	ए0एम0सी0 वैधता की तिथि
1	2	3	4

मा0 परिषद की आज्ञा से

4/8/09

(संजीव दूबे)
आयुक्त एवं सचिव